उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग—8 सं0— /2016/181(120)/XXVII(8)/2008

दिनांकः देहरादूनः 15 सितम्बर, 2016

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है; अतएव, अब, राज्यपाल, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम 74 वर्ष 1956) की धारा 8 की उपधारा (5), सपिटत साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम 10 वर्ष 1897) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या 98/2015/181 (120)/XXVII(8)/2008, दिनांक 20 जनवरी, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:--

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना की शर्त संख्या 2 के स्थान पर निम्न शर्त रख दी जायेगी; अर्थात् — 2. दिनांक 03 जुलाई, 2004 को अथवा उसके पश्चात् स्थापित समस्त औद्योगिक निर्माता इकाईयों द्वारा पूँजी निवेश के ऐसे दावे के समर्थन में, अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, "एकाउण्टेंट" द्वारा ऑडिटेड बैलेन्स शीट तथा कर निर्धारण प्राधिकारी की अपेक्षानुसार अन्य संबंधित

अभिलेख प्रस्तुत कर दिये गये हों;

उक्त के प्रयोजन हेतु "एकाउण्टेंट" से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण में यथा उपबंधित अभिप्रेत है। ऐसे पूँजी निवेश के दावे को सत्यापित करने के लिये कर निर्धारण अधिकारी यदि आवश्यक समझता हो तो मौके पर स्थापित प्लाण्ट एवं मशीनरी का निरीक्षण कर सकता है। निरीक्षण किये जाने की दशा में, प्रस्तुत तुलन पत्र (Balance Sheet) अथवा अन्य अभिलेख की तुलना में प्राप्त पूँजी निवेश के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य न पाया गया हो।

(अमित सिंह नेगी) सचिव।

सं0 7 8 2 / 2016 / 181 (120) / XXVII (8) / 2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित:-

1-प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन।

2—आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

3—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी /अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग—8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

4-भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

5-सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।

6-एन0आई०सी०

7-गार्ड फाईल हेतु।

अनुभाग

आवश्यक कार्यवाही करें

अपर अपिक कर चत्तराखण्ड, देहरादन 6406

आज्ञा से

(हीरा सिंह बसेड़ा) अनु सचिव।

Karuna/notificatio

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 782 /2016/181(120)/XXVII(8)/ 2008 dated 55 September, 2016 for general information.

Government of Uttarakhand Finance Section-8 NO.782/2016/181(120)/XXVII(8)/2008 Dehradun:: Dated: : 15 September, 2016

Notification

WHEREAS the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act no. 74 of 1956) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. 98/2015/181(120)/XXVII(8) /08 dated 20 January, 2015:-

Amendment

In place of the condition 2 of the aforesaid notification, the following condition shall be Substitutated as follows; namely-

2. For all manufacturing industrial units established on or after 3 July, 2004, notwithstanding contained in the Act, in support of the claim of such investment a balance sheet audited by an "Accountant" and other related documents required by the Assessing Authority are produced.

For this purpose "Accountant" means an Accountant as provided in the Explanation given after sub-section (3) of section 62 of the Uttarakhand Value Added tax Act. To verify the claim of such investment, if Assessing Authority finds it necessary may inspect the site of installation of the plant and machinery. In case of inspection in comprision of produced balance sheet or other ducuments in context of the capture investment no adverse facts is found.

Amit Singh Negi)
Secretary.

Karuna/notificatio